

कार्यकारी सारांश

1 आढावा

मे. माइंडस्पेस बिझनेस पार्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड (यापुढे "एमबीपीपीएल" किंवा "याचिकाकर्ता" म्हणून संदर्भित) [आधी सेरेन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ओळखले जाणारे], ही कंपनी कायदा, १९५६ च्या तरतुदीनुसार समाविष्ट केलेली कंपनी असून, तिचे नोंदणीकृत कार्यालय प्लॉट क्रमांक. C-३०, ब्लॉक 'जी', सिडबी समोर, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र, भारत येथे आहे.

एमबीपीपीएल हा महाराष्ट्र राज्यातील प्लॉट क्रमांक ३, कळवा, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, म. औ. वि. म., तालुका ठाणे, जिल्हा ठाणे येथील विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये डिम्ड वितरण परवानाधारक आहे. माननीय आयोगाने, २०११ च्या प्रकरण क्रमांक १५७ मधील दिनांक ११ एप्रिल २०१२ च्या आदेशाद्वारे, एमबीपीपीएलचा डिम्ड वितरण परवानाधारक दर्जा नोंदवला आहे आणि त्यानंतर २१ ऑगस्ट २०१३ रोजी एमबीपीपीएलसाठी परवान्याच्या विशिष्ट अटी अधिसूचित केल्या आहेत.

1.1 म. वि . नि . आ. (बहुवर्षीय वीज दर)विनियम, २०१९ अंतर्गत सध्याची याचिका दाखल करणे

एमबीपीपीएल म. वि . नि . आ. (बहुवर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९च्या नियमन ५.१ (ब) नुसार मध्यवर्ती पुनरावलोकन दाखल करत आहे. त्यानुसार, याचिकाकर्ता याद्वारे त्याची मध्यवर्ती पुनरावलोकन याचिका दाखल करत आहे ज्याच्या मंजूरीसाठी विनंती केली आहे:

- म. वि . नि . आ. (बहुवर्षीय वीज दर) विनियम, २०१५ च्या तरतुदीनुसार आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी अचूक समायोजन करणे;
- म. वि . नि . आ. (बहुवर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९च्या तरतुदीनुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी अचूक समायोजन करणे;
- म. वि . नि . आ. (बहुवर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ च्या तरतुदीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी तात्पुरते समायोजन
- म. वि . नि . आ. (बहुवर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ नुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सुधारित वार्षिक महसूल आवश्यकता;

- e) म. वि . नि . आ. (बहुवर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ च्या अनुषंगाने, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी विद्यमान दर आणि अंदाजित महसूल तफावत/(अतिरिक्त) वर वीज विक्रीतून मिळणारा महसूल; आणि
- f) म. वि . नि . आ. (बहुवर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ नुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी प्रस्तावित श्रेणीनुसार दर.

2 आर्थिक वर्ष २०१९-२०, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ची अचूक समायोजनकरिता वास्तविक

याचिकाकर्त्याने वेळोवेळी सुधारित केलेल्या बहुवर्षीय वीज दर विनियम, २०१५ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने आर्थिक वर्ष २०१९-२०च्या अचूक समायोजन विचार केला आहे. याचिकाकर्त्याने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या अचूक समायोजन वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार बहुवर्षीय वीज दर विनियम, २०१९ च्या तरतुदीनुसार विचार केला आहे. खालील तक्ता आर्थिक वर्ष २०१९-२०, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या समायोजन साठी वार्षिक महसूल आवश्यकता चा सारांश दर्शवितो:

आर्थिक वर्ष २०१९-२०, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ (रु. कोटी) साठी वायर्स व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता सारांश

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | | आर्थिक वर्ष २०२०-२१ | | आर्थिक वर्ष २०२१-२२ | |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | बहुवर्षीय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनकरिता वास्तविक | बहुवर्षीय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनकरिता वास्तविक | बहुवर्षीय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक |
| १ | संचालन व देखभाल खर्च | ३.४४ | २.९८ | ३.४३ | २.९७ | ३.५६ | ३.०६ |
| २ | घसारा | २.२४ | २.२४ | २.३२ | २.२७ | २.३८ | २.२८ |
| ३ | कर्ज भांडवलावर व्याज | २.२०० | २.१४ | २.०८ | १.७८ | १.९३ | १.३९ |
| ४ | कार्यरत भांडवलावर व्याज | ००.१३ | ००.१३ | ००.१६ | ००.११ | ०.१७ | ०.०९ |
| ५ | ग्राहक सुरक्षा ठेव वर व्याज | ०.०३ | ०.०३ | ०.०२ | ०.०१ | ०.०२ | ०.०२ |
| ६ | बुडीत कर्जासाठी तरतूद | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ७ | आकस्मिक राखीव योगदान | ००.२३ | ००.२२ | ०.२४ | ०.२४ | ०.२५ | ०.२५ |
| ८ | आयकर | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ९ | नफा/(तोटा) विभागणी | | ०.१० | | ०.१४ | | ०.१७ |
| १०० | संचालन व देखभाल खर्चाच्या पुनर्स्थितीचा परिणाम | | | | ००.२१ | | (०.०५) |
| ११ | एकूण महसूल खर्च | ८.२६ | ७.८५ | ८.२५ | ७.७३ | ८.३१ | ७.२१ |
| ११ | अधिक : समभाग भांडवलावर परतावा | २.१७ | २.१६ | २.०२ | २.१९ | २.०७ | २.२५ |
| १२ | एकूण महसूल आवश्यकता | १०.४३ | १०.०१ | १०.२७ | ९.९२ | १०.३८ | ९.४६ |

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | | आर्थिक वर्ष २०२०-२१ | | आर्थिक वर्ष २०२१-२२ | |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक |
| १३ | कमी: वीज दरा व्यतिरिक्त उत्पन्न | ०.०५ | ०.०६ | ०.०७ | ०.०९ | ०.०९ | ०.०९ |
| १४ | एकूण वार्षिक महसूल आवश्यकता | १०.३८ | ९.९५ | १००.२०० | ९.८४ | १०.२९ | ९.३७ |
| १५ | मागील कालावधीतील तफावत/(अतिरिक्त)/स्थगिती | - | - | १.८६ | १.८६ | ०.९१ | ०.९१ |
| १६ | एकूण महसूल | १०.३८ | ९.९५ | १२.०६ | ११.७०० | ११.२०० | १०.२८ |

आर्थिक वर्ष २०१९-२०, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ (रु. कोटी) साठी किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता सारांश

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | | आर्थिक वर्ष २०२०-२१ | | आर्थिक वर्ष २०२१-२२ | |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक |
| १ | वीज खरेदी खर्च | ३५.६९ | ३६.७९ | ४००.२४ | २६.४२ | ३६.१० | १९.६५ |
| २ | संचालन व देखभाल खर्च | १.८५ | १.६० | १.८५ | १.६० | १.९२ | १.६५ |
| ३ | घसारा | ०.०८ | ०.०८ | ०.०९ | ०.०८ | ०.०९ | ०.०८ |
| ४ | कर्ज भांडवलावर व्याज | ०.०७ | ०.०७ | ०.०६ | ०.०५ | ०.०६ | ०.०४ |
| ५ | कार्यरत भांडवलावर व्याज | - | - | - | - | - | - |
| ६ | ग्राहक सुरक्षा ठेव वर व्याज | ०.२७ | ००.२६ | ००.१५ | ००.१२ | ००.१५ | ०.१४ |
| ७ | बुडीत कर्जासाठी तरतूद | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ८ | आकस्मिक राखीव योगदान | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ |
| ९ | राज्य अंतर्गत पारेषण शुल्क | ३.६४ | ३.५६ | ५.०७ | ५.०१ | ५.०२ | ४.९९ |
| १० | म. रा. भार. प्रेषण केंद्र शुल्क | ०.०२ | ०.०२ | ०.०३ | ०.०३ | ०.०२ | ०.०२ |
| ११ | आयकर | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १२ | नफा/(तोटा) विभागणी | | ०.०६ | | ०.०६ | | ०.०६ |
| १३ | संचालन व देखभाल खर्चाच्या पुनर्स्थितीचा परिणाम | | | | ००.१२ | | (०.०२) |
| १४ | एकूण महसूल खर्च | ४१.६३ | ४२.४५ | ४७.५० | ३३.४९ | ४३.४७ | २६.६३ |
| १५ | अधिक: समभाग भांडवलावर परतावा | ०.०८ | ०.०८ | ०.०७ | ०.०७ | ०.०८ | ०.०८ |

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | | आर्थिक वर्ष २०२०-२१ | | आर्थिक वर्ष २०२१-२२ | |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोज नाकरिता वास्तविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोज नाकरिता वास्तविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक |
| १६ | एकूण महसूल आवश्यकता | ४१.७१ | ४२.५३ | ४७.५७ | ३३.५६ | ४३.४५ | २६.७१ |
| १७ | कमी: वीज दरा व्यतिरिक्त उत्पन्न | ०.४४ | ०.०५ | ०.४४ | ०.०८ | ०.४५ | ०.०४ |
| १८ | किरकोळ पुरवठा पासून एकूण महसूल आवश्यकता | ४१.२७ | ४२.४९ | ४७.१३ | ३३.४८ | ४३.०० | २६.६७ |
| १९ | मागील कालावधीतील तफावत/(अतिरिक्त)/स्थगिती | - | - | (६.३६) | (६.३६) | २.०६ | २.०६ |
| २० | एकूण महसूल | ४१.२७ | ४२.४९ | ४०.७७ | २७.१२ | ४५.०६ | २८.७३ |

वरील वार्षिक महसूल आवश्यकता आणि संबंधित वर्षातील वास्तविक महसुलाच्या आधारे आर्थिक वर्ष २०१९-२०, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी महसुलातील तफावत/(अतिरिक्त), खालील तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे:

आर्थिक वर्ष २०१९-२०, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ (रु. कोटी) साठी महसुलातील तफावत/(अतिरिक्त)

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | | आर्थिक वर्ष २०२०-२१ | | आर्थिक वर्ष २०२१-२२ | |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोज नाकरिता वास्तविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोज नाकरिता वास्तविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक |
| १ | वितरण वायर व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता | १०.३९ | ९.९५ | १२.०६ | ११.७०० | ११.२० | १०.२८ |
| २ | किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता | ४१.२७ | ४२.४९ | ४०.७७ | २७.१२ | ४५.०६ | २८.७३ |
| ३ | वायर आणि किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी एकत्रित वार्षिक महसूल आवश्यकता | ५१.६६ | ५२.४४ | ५२.८२ | ३८.८२ | ५६.२५ | ३९.०१ |
| ४ | वहन शुल्कमधून महसूल | | ७.४४ | | ६.५८ | | ५.५३ |
| ५ | वीज विक्रीतून महसूल | | ३५.८९ | | २९.४५ | | २८.७४ |

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | | आर्थिक वर्ष २०२०-२१ | | आर्थिक वर्ष २०२१-२२ | |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अचूक समायोजनाकरिता वास्तविक |
| ६ | एकूण महसूल | | ४३.३३ | | ३६.०३ | | ३४.२७ |
| ७ | तफावत/ (अतिरिक्त) वायर व्यवसाय | | २.५१ | | ५.१२ | | ४.७४ |
| ८ | तफावत/ (अतिरिक्त) पुरवठा व्यवसाय | | ६.६० | | (२.३३) | | (०.००) |
| ९ | एकत्रित महसूल तफावत/(अतिरिक्त) | | ९.११ | | २.७८ | | ४.७४ |

वरील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे , आर्थिक वर्ष २०१९-२०, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी महसूल तफावत/(अतिरिक्त) मंजूर करण्याची विनंती करतो . पुढे, ज्या विचित्र परिस्थितींमध्ये महसुलातील तफावत निर्माण झाली आहे, उदा., कोविड-१९ च्या प्रभावामुळे कमी विक्रीचे संयोजन, महसुलाची आवश्यकता पुढे ढकलल्यामुळे कमी दर, बदलत्या विक्री युनिट्सद्वारे निश्चित वायर्स वार्षिक महसूल आवश्यकताची पुनर्प्राप्ती लक्षात घेता, ज्यामध्ये तीक्ष्ण कपात झाली, इ., याचिकाकर्ता माननीय आयोगाला विनंती करतो की वायर्स व्यवसाय आणि पुरवठा व्यवसायच्या एकत्रित कमाईतील फरकाचा विचार करावा, स्वतंत्रपणे विचार न करता.

3 आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ची तात्पुरते समायोजन

याचिकाकर्त्याने वेळोवेळी सुधारित केलेल्या बहुवर्षीय वीज दर विनियम, २०१९ च्या तरतुदीनुसार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या तात्पुरत्या समायोजन आवश्यकतांची गणना केली आहे. खालील तक्ता आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या तात्पुरत्या समायोजन साठी वार्षिक महसूल आवश्यकता चा सारांश दर्शवितो:

तक्ता ४: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वायर्स व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता सारांश (रु. कोटी)

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ | |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | बहुवर्षीय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | सुधारित अंदाज |
| १ | ऑपरेशन आणि देखभाल खर्च | ३.६९ | ३.४३ |
| २ | घसारा | २.३९ | २.३१ |
| ३ | कर्ज भांडवलावर व्याज | १.७३ | १.२३ |
| ४ | कार्यरत भांडवलावर व्याज | ०.१७ | ०.१५ |
| ५ | ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ०.०२ | ०.०२ |
| ६ | बुडीत कर्जासाठी तरतूद | ०.०० | ०.०० |
| ७ | आकस्मिक राखीव योगदान | ०.२४ | ०.२४ |
| ८ | आयकर | -- | -- |
| ९ | एकूण महसूल खर्च | ८.२४ | ७.३७ |
| १० | अधिक: समभाग भांडवलावर परतावा | २.०८ | २.०६ |
| ११ | एकूण महसूल आवश्यकता | १०.३३ | ९.४४ |
| १२ | कमी: वीज दरा व्यतिरिक्त उत्पन्न | ०.११ | ०.०९ |
| १३ | एकूण एकूण महसूल आवश्यकता | १०.२३ | ९.३४ |
| १४ | मागील तफावत/(अतिरिक्त)/विलंबानंतर | १.३६ | १.३६ |
| १५ | एकूण महसूल | ११.५९ | १०.७० |

तक्ता ५: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता सारांश (रु. कोटी)

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ | |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | सुधारित अंदाज |
| १ | वीज खरेदी खर्च (राज्य अंतर्गत पारेषण शुल्कासह) | ३३.२५ | ३७.८१ |
| २ | ऑपरेशन आणि देखभाल खर्च | १.९९ | १.८५ |
| ३ | घसारा | ०.१० | ०.०९ |
| ४ | कर्ज भांडवलावर व्याज | ०.०५ | ०.०४ |
| ५ | कार्यरत भांडवलावर व्याज | ०.०० | ०.०० |
| ६ | ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ०.१५ | ०.१५ |
| ७ | बुडीत कर्जासाठी तरतूद | ०.०० | ०.०३ |
| ८ | आकस्मिक राखीव योगदान | ०.०१ | ०.०१ |
| ९ | राज्य अंतर्गत पारेषण शुल्क | ४.९६ | ४.९६ |
| १० | म. रा. भार. प्रेषण केंद्र शुल्क आणि शुल्क | ०.०२ | ०.०२ |
| ११ | आयकर | - | - |
| १२ | एकूण महसूल खर्च | ४०.५४ | ४४.९६ |
| १३ | अधिक: समभाग भांडवलावर परतावा | ०.०८ | ०.०८ |
| १४ | एकूण महसूल आवश्यकता | ४०.६१ | ४५.०४ |
| १५ | कमी: वीज दरा व्यतिरिक्त उत्पन्न | ०.४५ | ०.०३ |
| १६ | किरकोळ पुरवठा पासून एकूण महसूल आवश्यकता | ४०.१७ | ४५.०० |
| १७ | मागील तफावत/(अतिरिक्त)/विलंबानंतर | २.९८ | २.९८ |
| १८ | एकूण महसूल | ४३.१५ | ४७.९८ |

आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी तात्पुरते समायोजन वर आधारित महसूल तफावत/(अतिरिक्त) खालील तक्त्यामध्ये दर्शविला आहे:

तक्ता ६: आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी महसुलातील तफावत/(अतिरिक्त) (रु. कोटी)

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ | |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| | | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अंदाज |
| १ | वितरण वायर व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता | ११.५९ | १०.७० |
| २ | किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता | ४३.१५ | ४७.९८ |

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | अंदाज |
| ३ | वायर आणि किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी एकत्रित वार्षिक महसूल आवश्यकता | ५४.७१ | ५८.६९ |
| ४ | वीज विक्रीतून महसूल | | ४४.५८ |
| ५ | महसुलातील तफावत/(अतिरिक्त) | | १४.११ |

याचिकाकर्ता माननीय आयोगाला वरील सारण्यांमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी तात्पुरते समायोजन नंतर महसूल तफावत/(अतिरिक्त) मंजूर करण्याची विनंती करत आहे.

4 आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सुधारित वार्षिक महसूल आवश्यकता

याचिकाकर्त्याने बहुवर्षीय वीज दर विनियम, २०१९ च्या नियमन ५.१ (iii) च्या अनुषंगाने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सुधारित वार्षिक महसूल आवश्यकता सुधारित अंदाज केला आहे. खालील तक्त्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी सुधारित वार्षिक महसूल आवश्यकता चा सारांश दर्शवितात :

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वायर्स व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता सारांश (कोटी रुपये)

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ | |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | | बहुवर्षीय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | प्रास्ताविक | बहुवर्षीय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | प्रास्ताविक |
| 1. | ऑपरेशन आणि देखभाल खर्च | ३.८४ | ३.६१ | ३.९८ | ३.७९ |
| 2. | घसारा | २.३९ | २.३४ | २.३९ | २.३९ |
| 3. | कर्ज भांडवलावर व्याज | १.५१ | १.११ | १.२८ | ०.९९ |
| 4. | कार्यरत भांडवलावर व्याज | ०.१७ | ०.१५ | ०.१७ | ०.१५ |
| 5. | ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ |
| 6. | आकस्मिक राखीव योगदान | ०.२५ | ०.२४ | ०.२५ | ०.२५ |
| 7. | एकूण महसूल खर्च | ८.१७ | ७.४७ | ८.०९ | ७.६० |
| 8. | अधिक: समभाग भांडवलावर परतावा | २.०९ | २.१३ | २.०९ | २.१७ |
| 9. | एकूण महसूल आवश्यकता | १०.२६ | ९.५९ | १०.१८ | ९.७७ |
| 10. | कमी: वीज दरा व्यतिरिक्त उत्पन्न | ०.१२ | ०.०९ | ०.१४ | ०.०९ |
| 11. | वितरण तारांमधून एकूण महसूल आवश्यकता | १०.१३ | ९.५० | १०.०४ | ९.६७ |
| 12. | मागील कालावधीतील तफावत/अडजस्टमेंट | १.३८ | १.३८ | १.३६ | १.३६ |
| 13. | समायोजनानंतर एकूण महसूल | ११.५१ | १०.८८ | ११.४० | ११.०३ |

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता सारांश (कोटी रुपये)

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ | |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | प्रास्ताविक | बहुवर्षिय वीज दर आदेशामध्ये मंजूर | प्रास्ताविक |
| 1. | वीज खरेदी खर्च | ३३.३२ | ३३.७८ | ३३.४८ | ३३.६७ |
| 2. | ऑपरेशन आणि देखभाल खर्च | २.०७ | १.९४ | २.१५ | २.०४ |
| 3. | घसारा | ०.१० | ०.१२ | ०.१० | ०.१६ |
| 4. | कर्ज भांडवलावर व्याज | ०.०४ | ०.०५ | ०.०४ | ०.०६ |
| 5. | कार्यरत भांडवलावर व्याज | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| 6. | ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ०.१५ | ०.२२ | ०.१५ | ०.२२ |
| 7. | बुडीत कर्जासाठी तरतूद | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| 8. | आकस्मिक राखीव योगदान | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ |
| 9. | राज्य अंतर्गत पारेषण शुल्क | ४.८९ | ४.९६ | ४.७७ | ४.९६ |
| 10. | म. रा. भार. प्रेषण केंद्र शुल्क आणि प्रभार | ०.०३ | ०.०२ | ०.०३ | ०.०२ |
| 11. | एकूण महसूल खर्च | ४०.६१ | ४१.११ | ४०.७३ | ४१.१५ |
| 12. | अधिक: समभाग भांडवलावर परतावा | ०.०८ | ०.१० | ०.०८ | ०.१२ |
| 13. | एकूण महसूल आवश्यकता | ४०.६९ | ४१.२१ | ४०.८१ | ४१.२७ |
| 14. | कमी: वीज दरा व्यतिरिक्त उत्पन्न | ०.४५ | ०.०३ | ०.४५ | ०.०३ |
| 15. | कमी: इतर व्यवसायातून उत्पन्न | - | - | - | - |
| 16. | किरकोळ पुरवठा पासून एकूण महसूल आवश्यकता | ४०.२५ | ४१.१८ | ४०.३६ | ४१.२४ |
| १७ | मागील कालावधीतील तफावत/अडजस्टमेंट | ३.०० | ३.०० | २.९९ | २.९९ |
| १८ | समायोजनानंतर एकूण महसूल | ४३.२५ | ४४.१८ | ४३.३५ | ४४.२३ |

याचिकाकर्त्याने आर्थिक वर्ष २०१९-२०, आर्थिक वर्ष २०२०-२१, आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या महसुली तफावत/(अतिरिक्त) वर वहन/(धारण खर्च) ची गणना आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या दरपत्रकात केली आहे. खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे:

तक्ता ९: भूतकाळातील अंतरासाठी वहन/(होलिंग) खर्च/(अतिरिक्त) (रु. कोटी)

| तपशील | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | आर्थिक वर्ष २०२०-२१ | आर्थिक वर्ष २०२१-२२ | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | एकूण |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| वाढीव तफावत उघडणे/(अतिरिक्त) | - | २.३९ | ५.१७ | ९.९१ | ९.९१ | |
| वर्षभरात वाढीव तफावत/(अतिरिक्त). | २.३९ | २.७८ | ४.७४ | - | (९.९१) | |
| क्लोजिंग गॅप/(अतिरिक्त) | २.३९ | ५.१७ | ९.९१ | ९.९१ | ०.०० | |
| सरासरी तफावत/(अतिरिक्त) | १.१९ | ३.७८ | ७.५४ | ९.९१ | ४.९५ | |
| वहन/(धारण) खर्चासाठी व्याजदर | ९.६६% | ८.५७% | ८.५०% | ९.५५% | ९.५५% | |
| वर्षासाठी वहन/(होलडिंग) खर्च | ०.१२ | ०.३२ | ०.६४ | ०.९५ | ०.४७ | २.५० |

5 आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वीज दर प्रस्ताव

वरील गणनेच्या आधारे मागील वर्षाच्या अचूक समायोजनानंतर महसुलातील तफावत/(अतिरिक्त) आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंदाजित महसुली तफावत/(अतिरिक्त), असे लक्षात येते की जर संपूर्ण महसुलातील तफावत असेल एकतर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये वसूल केले गेले किंवा जरी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये समान प्रमाणात पसरले असले तरी, एक अतिशय तीव्र दरवाढ आवश्यक आहे, जी त्याच्या ग्राहकांसाठी निश्चितच वीज दर वाढीचा धक्का असेल. पुरवठा सरासरी खर्च (ACOS) ची गणना आणि म्हणून, सरासरी बिलिंग दर (ABR), जर संपूर्ण महसुलाची आवश्यकता आणि संपूर्ण महसूल तफावत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वसूल केली गेली असेल तर, खालील तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे:

तक्ता १० : संपूर्ण महसूल आवश्यकता वसूल झाल्यास आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंदाजित सरासरी पुरवठा खर्च (रु.)

| तपशील | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| वार्षिक महसूल आवश्यकता (रु. कोटी) | ५७.९८ | ७९.८५ |
| विक्री (Mn. kWh) | ५६.८१ | ५९.६६ |
| विक्री (Mn. kVAh) | ६०.७३ | ६३.७७ |
| सरासरी पुरवठा खर्च (रु./kWh) | १०.२१ | १३.३९ |
| सरासरी पुरवठा खर्च (रु./केव्हीएच) | ९.५५ | १२.५२ |
| वार्षिक दर वाढ आवश्यक आहे (%) | २५% | ३१% |

वरील तक्त्यावरून लक्षात येते की, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये २५% आणि ३१% प्रभावी दर वाढ करणे आवश्यक आहे, जे ग्राहकांना निश्चितच दर धक्का देणारे ठरेल.

कोविड- १९ साठीच्या आजारामुळे विक्रीत मोठी घट, अंडर-रिकव्हरी, उदा. विक्रीतील कपात, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये वीजखरेदी खर्चात प्रचंड वाढ, आणि दराच्या परिवर्तनीय घटकाच्या २०% च्या प्रचलित FAC कॅपमुळे ते वसूल करण्यात अक्षमता, बहुवर्षीय वीज दर आदेशमध्ये मंजूर केलेल्या मागील तफावतीच्या वसुलीला स्थगिती दिल्याने ही समस्या अधिकच वाढली आहे, ज्यामुळे कोविड-१९ मुळे कमी विक्रीवर कमी दर आकारले गेले आहेत आणि त्यामुळे महसुलातील तफावत देखील वाढली आहे.

याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही की याचिकाकर्ता त्याच्या पुरवठ्याच्या क्षेत्रातील दुसरा वितरण परवानाधारक आहे, महावितरण हा पहिला परवानाधारक आहे. वितरण कार्य सुरू झाल्यापासून सर्व वर्षांपासून, याचिकाकर्त्याचे दर महावितरणच्या दरापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहेत. त्यामुळे, त्याच ग्राहक श्रेणींसाठी महावितरणने मंजूर केलेल्या दरापेक्षा याचिकाकर्त्याचे दर अचानक जास्त असतील अशा पातळीपर्यंत दर वाढवले जाऊ शकत नाहीत, जे त्यांच्या ग्राहकांसाठीही दर धक्कादायक ठरतील.

त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी श्रेणीनिहाय वीज दर प्रस्तावित केले आहेत, जसे की बहुवर्षीय वीज दर आदेशमध्ये म. रा. वि. वि. कं. लि. साठी संबधित वर्षांसाठी मंजूर केलेल्या वीज दरापेक्षा किंचित कमी आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील परिणामी महसुलातील तफावत पुढील बहुवर्षीय वीज दर नियंत्रण कालावधीसाठी पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव आहे. याचिकाकर्त्याला आशा आहे की विक्रीची स्थिती सुधारेल आणि तोपर्यंत वीज खरेदी खर्च देखील नियंत्रणात येईल, ज्यामुळे याचिकाकर्त्याला पुढील बहुवर्षीय वीज दर नियंत्रण कालावधीच्या वर्षांमध्ये लवकरात लवकर विलंबित महसूल तफावत भरून काढता येईल. याचिकाकर्त्याने अंदाज व्यक्त केला आहे की प्रस्तावित दरांमुळे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये अनुक्रमे सुमारे २.७९ कोटी रु. आणि २३.६१ कोटी रु ची वसुली कमी होईल .

पुढील नियंत्रण कालावधीच्या ३ वर्षांच्या कालावधीत, म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२५-२६, आर्थिक वर्ष २०२६-२७, आणि आर्थिक वर्ष २०२७-२८ मध्ये स्थगित महसुलातील तफावत वसूल केली जाईल अशी कल्पना आहे. याचिकाकर्ता नम्रपणे सादर करतो की सध्याची परिस्थिती नियामक मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी वीज धोरण, २०१६ अंतर्गत मांडल्या गेलेल्या अपरिहार्य परिस्थितीशी पूर्णपणे जुळते. पुढे, याचिकाकर्त्याने नियामक मालमत्तेच्या वसुलीसाठी ३ वर्षांचा कालावधी प्रस्तावित केला आहे, जो वीज धोरणअंतर्गत निर्धारित केलेल्या ७ वर्षांच्या कालावधीत आहे. म्हणून, **याचिकाकर्ता माननीय आयोगाला विनंती करतो की त्यांनी प्रस्तावित मर्यादेपर्यंत महसुलातील तफावत वसुलीसाठी याचिकाकर्त्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी द्यावी.**

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण महसुलातील तफावत/(अतिरिक्त) वसुलीसाठी प्रस्तावित

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंदाजित वार्षिक महसूल आवश्यकता आणि सध्याच्या दरातील महसुलावर आधारित एकूण अंदाजित महसूल तफावत/अतिरिक्त खालील तक्त्यामध्ये सारांशित केले आहे:

तक्ता ११ : आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (रु. कोटी) साठी विद्यमान दरपत्रकावरील अंदाजित महसुलातील तफावत/(अतिरिक्त)

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | वितरण वायर व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता | १०.८८ | ११.०३ |
| 2. | किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता | ४४.१८ | ४४.२३ |
| 3. | एकत्रित वायर व्यवसाय आणि किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता | ५५.०६ | ५५.२६ |
| 4. | अधिक: आर्थिक वर्ष २०१९२०२०१९-२०साठी वाढीव महसूल तफावत/(अतिरिक्त). | २.३९ | |
| 5. | अधिक: आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी महसूल तफावत/(अतिरिक्त). | २.७८ | |
| 6. | अधिक: आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी महसूल तफावत/(अतिरिक्त). | ४.७४ | |
| 7. | अधिक: आर्थिक वर्ष २०१९-२०, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या महसुलातील तफावत/(अतिरिक्त) वाहून नेणे/(होलिडिंग) खर्च | २.५० | |
| 8. | अधिक: आर्थिक वर्ष-२३ साठी महसूल तफावत/(अतिरिक्त). | | १४.११ |
| 9. | एकूण महसूल आवश्यकता | ६७.४७ | ६९.३७ |
| 10. | वार्षिक महसूल आवश्यकता आणि महसूल यांच्यातील ५०% तफावत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये हलवले | -१०.४८ | १०.४८ |
| 11. | महसुली तफावत वरील स्थलांतरामुळे वहन खर्च | १.०० | |
| 12. | सुधारित निव्वळ महसूल आवश्यकता | ५७.९८ | ७९.८५ |
| 13. | महसुलाची आवश्यकता भविष्यातील वर्षासाठी पुढे ढकलली | २.७९ | २३.६१ |
| 14. | परवानाधारक व्यवसायाचे एकूण महसूल | ५५.१९ | ५६.२५ |
| 15. | विद्यमान वीज दरमधून महसूल | ४६.५० | ४८.४५ |
| 16. | परवानाकृत व्यवसायाची महसुलातील तफावत | ८.६९ | ७.७९ |

वरील तक्त्यावरून असे दिसून आले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी महसुलातील तफावत आहे, कारण विद्यमान दरपत्रकावरील महसूल हे वायर्स व्यवसाय आणि पुरवठा व्यवसायाच्या वार्षिक महसूल आवश्यकता पेक्षा कमी आहे, समायोजन आणि पुढे ढकलल्यानंतरही महसुलातील तफावत आहे त्यामुळे वायर्स व्यवसाय आणि पुरवठा व्यवसायाचा वार्षिक महसूल आवश्यकता वसूल करण्यासाठी दर वाढवणे आवश्यक आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे, याचिकाकर्त्याने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी श्रेणीनिहाय दर प्रस्तावित केले आहेत, जसे की सुधारित एकूण महसूल प्राप्त करण्यासाठी बहुवर्षीय वीज दर आदेशमध्ये MSEDCL साठी मंजूर केलेल्या दरांशी तुलना करता येईल.

खालील तक्ता आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी पुनर्प्राप्ती आणि पुरवठा सरासरी खर्चासाठी विचारात घेतलेली अंदाजित महसूल आवश्यकता दर्शवते:

तक्ता १२ : आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंदाजित महसूल आवश्यकता आणि सरासरी पुरवठा खर्च (रु. कोटी)

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ |
|------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | परवानाधारक व्यवसायाचे एकूण महसूल | ५५.१९ | ५६.२५ |
| 2. | ऊर्जा विक्री (MkWh) | ५६.८१ | ५९.६६ |
| 3. | ऊर्जा विक्री (MkVAh) | ६०.७३ | ६३.७७ |
| 4. | पुरवठ्याची सरासरी किंमत (रु./kWh) | ९.७१ | ९.४३ |
| 5. | पुरवठ्याची सरासरी किंमत (रु. /kVAh) | ९.०९ | ८.८२ |

माननीय आयोगाने बहुवर्षीय वीज दर आदेशात अवलंबलेल्या दृष्टिकोनानुसार वहन शुल्क प्रस्तावित केले आहे, जसे की संपूर्ण वायर्स वार्षिक महसूल आवश्यकता वहन शुल्कातून वसूल केले जातात. किरकोळ पुरवठा दर, म्हणजे, निश्चित/मागणी शुल्क आणि ऊर्जा शुल्क, त्यानुसार, नियंत्रण कालावधीसाठी प्रास्ताविक केलेल्या संयुक्त वार्षिक महसूल आवश्यकता चा शिल्लक भाग वसूल करण्यासाठी प्रस्तावित केले आहेत.

तक्ता १३ : आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी प्रस्तावित वहन शुल्क

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | वायर्स वार्षिक महसूल आवश्यकता (रु. कोटी) | १०.८८ | ११.०३ |
| 2. | उच्च दाब नेटवर्क (%) साठी एकूण स्थिर मालमत्ता श्रेय | ५४.००% | ५४.००% |
| 3. | लघु दाब नेटवर्क (%) ला एकूण स्थिर मालमत्ता श्रेय | ४६.००% | ४६.००% |
| 4. | एचटी ग्राहकांकडून वसूल करण्यायोग्य शुल्क (रु. कोटी) | ५.८८ | ५.९६ |
| 5. | एलटी ग्राहकांकडून वसूल करण्यायोग्य शुल्क (रु. कोटी) | ५.०१ | ५.०८ |
| 6. | एकूण एचटी विक्री (MkVAh) | ५१.९६ | ५४.५६ |
| 7. | एकूण लघु दाब विक्री (MkVAh) | ८.७७ | ९.२१ |
| 8. | एचटी ग्राहकांकडून वसूल करण्यायोग्य शुल्क (रु. कोटी) | ५.०३ | ५.१० |

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 9. | एलटी ग्राहकांकडून वसूल करण्यायोग्य शुल्क (रु. कोटी) | ५.८५ | ५.९४ |
| 10. | एचटी वहन शुल्क (रु./केव्हीएच) | ०.९७ | ०.९३ |
| 11. | लघु दाब वहन शुल्क (रु./kVAh) | ६.६८ | ६.४५ |
| 12. | संमिश्र वहन शुल्क (रु./केव्हीएच) | १.७९ | १.७३ |

वरील गणनेवरून दिसून येते की, लघु दाब वहन शुल्क, जर स्वतंत्रपणे मोजले गेले, तर ते खूप जास्त असल्याचे दिसून येते, कारण ४६% वायर्स वार्षिक महसूल आवश्यकता च्या तुलनेत विक्रीचा वाटा (१४%) खूप कमी आहे. म्हणून, याचिकाकर्त्याने माननीय आयोगाला याचिकाकर्त्याच्या बाबतीत संमिश्र (उच्च दाब आणि लघु दाब एकत्रित) वहन शुल्काचा विचार करण्याची विनंती केली आहे.

खालील तक्त्यात याचिकाकर्त्याने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी प्रस्तावित केलेल्या श्रेणीनुसार दर दर्शवितात.

तक्ता १४ : आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी प्रस्तावित शुल्क वेळापत्रक

| क्र. | ग्राहक श्रेणी | निश्चित मागणी शुल्क/ दरमहा | वहन शुल्क (रु. /kVAh) | ऊर्जा शुल्क (रु./केव्हीएच) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| उच्च दाब श्रेणी | | | | |
| १ | उच्च दाब I: उच्च दाब- उद्योग | रु. ४२५ प्रति केव्हीए | १.७९ | ५.७५ |
| २ | उच्च दाब II: उच्च दाब व्यावसायिक | रु. ४२५ प्रति केव्हीए | १.७९ | ५.७५ |
| ३ | उच्च दाब III: उच्च दाब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन | रु. १०० प्रति kVA | १.७९ | ५.७५ |
| लघु दाब श्रेणी | | | | |
| ४ | लघु दाब I: लघु दाब- सामान्य उद्देश | रु. ३५० | १.७९ | ६.१५ |
| ५ | लघु दाब II: लघु दाब व्यावसायिक | | | |
| | (A) ०-२० kW | रु. ४२५ | १.७९ | ७.०५ |
| | (ब) २० kW वर | रु. २५० प्रति kVA | १.७९ | ५.३५ |
| ६ | लघु दाब III: लघु दाब उद्योग | | | |
| | (A) ०-२० kW | रु. ४२५ | १.७९ | ७.०५ |
| | (ब) २० kW वर | रु. ४२५ प्रति केव्हीए | १.७९ | ६.५० |
| ७ | लघु दाब IV: लघु दाब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन | रु. १०० प्रति kVA | १.७९ | ७.०५ |

तक्ता १५ : आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी प्रस्तावित वीज दर वेळापत्रक

| क्र. | ग्राहक श्रेणी | निश्चित / मागणी शुल्क/ दरमहा | वहन शुल्क (रु. /kVAh) | ऊर्जा शुल्क (रु/केव्हीएच) |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| उच्च दाब श्रेणी | | | | |
| १ | उच्च दाब I: उच्च दाब- उद्योग | रु. ४७५ प्रति केव्हीए | १.७३ | ५.४५ |
| २ | उच्च दाब II: उच्च दाब व्यावसायिक | रु. ४७५ प्रति केव्हीए | १.७३ | ५.४५ |
| ३ | उच्च दाब III: उच्च दाब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन | रु. १२५ प्रति केव्हीए | १.७३ | ५.४५ |
| लघु दाब श्रेणी | | | | |
| ४ | लघु दाब I: लघु दाब- सामान्य उद्देश | रु. ३५० | १.७३ | ७.८० |
| ५ | लघु दाब II: लघु दाब व्यावसायिक | | | |
| | (A) ०-२० kW | रु. ४७५ | १.७३ | ६.८५ |
| | (ब) २० kW वर | रु. २५० प्रति kVA | १.७३ | ५.२० |
| ६ | लघु दाब III: लघु दाब उद्योग | | | |
| | (A) ०-२० kW | रु. ४७५ | १.७३ | ६.८५ |
| | (ब) २० kW वर | रु. ४७५ प्रति केव्हीए | १.७३ | ६.२० |
| ७ | लघु दाब IV: लघु दाब विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन | रु. १२५ प्रति केव्हीए | १.७३ | ७.०५ |

याचिकाकर्ता माननीय आयोगाला विनंती करतो की कृपया संबंधित वर्षासाठी वरील तक्त्यामध्ये प्रस्तावित केलेल्या दरांना मंजूरी द्यावी .

6 प्रार्थना

याचिकाकर्ता खालीलप्रमाणे माननीय आयोगाकडे प्रार्थना करतो:

- i. म. वि . नि . आ. (बहुवर्षीय वीज दर) विनियम २०१९ च्या तरतुदीनुसार एमटीआर याचिका स्वीकारणे आणि माननीय आयोगासमोर पुढील कार्यवाहीसाठी विचार करणे;
- ii. आर्थिक वर्ष २०१९-२०, आर्थिक वर्ष २०२०-२१, आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी अचूक समायोजनकरिता वास्तविक आणि महसूल तूट/(अतिरिक्त) मंजूर करण्यासाठी आणि याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केल्यानुसार, दरपत्रकाद्वारे त्याची वसूली;
- iii. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी तात्पुरती समायोजनकरिता वास्तविक आणि महसुलातील तफावत/(अतिरिक्त) मंजूर करणे आणि याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केल्यानुसार दरपत्रकाद्वारे त्याची वसूली करणे;
- iv. याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केलेल्या वहन/(धारण) खर्चासह मागील महसुलातील तफावत/(अतिरिक्त) वसूल करण्यास परवानगी देणे;
- v. बहुवर्षीय वीज दर विनियम, २०१९ च्या संदर्भात शिथिल करण्याच्या अधिकारांचा वापर करून, DPR योजनांतर्गत कोणतेही Capex प्रस्तावित नसले तरीही या याचिकेत प्रस्तावित नॉन-DPR कॅपेक्स आणि कॅपिटलायझेशन मंजूर करणे;
- vi. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सुधारित वार्षिक महसूल आवश्यकता आणि याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केलेल्या सुधारित दराद्वारे त्याची वसूली मंजूर करणे;
- vii. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ट्रान्समिशन क्षमता अधिकारांच्या (TCRs) गणनेसाठी COVID-१९ पूर्वीच्या परिस्थितीत (आर्थिक वर्ष २०१९-२० विशेषतः प्री-COVID-१९ वर्ष म्हणून) एमबीपीपीएल द्वारे पूर्ण केलेल्या सर्वाधिक मागणीचा विचार करणे;
- viii. पारेषण शुल्क आणि म. रा. भार. प्रेषण केंद्र शुल्कमधील याचिकाकर्त्याचा वाटा निश्चित करण्यासाठी आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी याचिकाकर्त्यासाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता मंजूर करताना त्याचा विचार करा;
- ix. हरित ऊर्जा वीज दर मंजूर करण्यासाठी याचिकाकर्त्यासाठी आरपीओ लक्ष्यापेक्षा जास्त आणि जास्त अपारंपरिक ऊर्जा मिळवू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांकडून रु ०.५३/kWh शुल्क आकारले जाईल;
- x. प्रस्तावित मर्यादित महसुली तफावत वसूल करण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावे
- xi. याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित केल्यानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी संमिश्र वहन शुल्क मंजूर करण्यासाठी;

-
- xii. याचिकाकर्त्याने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी प्रस्तावित केलेल्या किरकोळ पुरवठा दर आणि दरपत्रकाला मंजूरी देणे;
- xiii. कोणतीही अनवधानाने चूक, चुका, कमीपणा माफ करा आणि याचिकाकर्त्याला ही फाइलिंग जोडू/ सुधारित /बदलू द्या आणि भविष्यातील तारखेला आवश्यक असेल त्याप्रमाणे पुढील सादर करू द्या; आणि
- xiv. खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीत योग्य आणि योग्य वाटतील असे इतर आणि पुढील आदेश पारित करा.